



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025 ई0

अग्रहायण 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

संख्या- 138/XXX(2)/2025-E 69772/03(01)/2006

देहरादून, 05 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-16

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का  
संशोधन

2. दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली, 2013 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

(1) नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे जिन्होंने इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(1) नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे जिन्होंने दिनांक 04.12.2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो;

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,  
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 138/XXX(2)/2025-E 69772/03(01)/2006, Dated December 05, 2025 for general information.

No. 138/XXX(2)/2025-E 69772/03(01)/2006  
Dehradun, Dated December 05, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend in the "Daily Wage, Work-Charged, Contract, Fixed-Pay, Part-Time and Ad-hoc Employees Regularization Rules, 2013" namely:-

**Daily Wage, Work-Charged, Contract, Fixed-Pay, Part-Time and Ad-hoc Employees Regularisation (Amendment) Rules, 2025**

Short title and  
Commencement

- 1 (1) These rules may be called the  
Daily Wage, Work-Charged,  
Contract, Fixed-Pay, Part-Time

and Ad-hoc Employees  
Regularisation (Amendment)  
Rules, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 4

2. In The Daily Wage, Work-Charged, Contract, Fixed-Pay, Part-Time and Ad-hoc Employees Regularization Rules, 2013, for sub-rule (1) of the existing rule 4, as set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

**Column-1**

**Existing sub-rule**

(1) Subject to fulfillment of all other conditions prescribed in these Rules, those employees appointed on daily-wage, work-charged, contractual, fixed-pay, part-time or ad-hoc basis shall be eligible for regularization, provided that they have completed not less than five years of continuous service on the post, or on an equivalent post, as on the date of publication of these Rules.

**Column-2**

**Sub-rule here by Substituted**

(1) Subject to fulfillment of the other conditions mentioned in the Rules, such personnel appointed on daily-wage, work-charged, contract, fixed-pay, part-time and ad-hoc basis shall be eligible for regularization, who have completed not less than ten years of continuous service as such till 04.12.2018 on the post, or on an equivalent post.

By Order,

SHAILESH BAGAUJI,  
Secretary.